an>

Title: Need to undertake delimitation of Assembly and Lok Sabha constituencies in Jharkhand also reserve seats for Scheduled Castes in the State Assembly and Lok Sabha in proportion to their population.

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा) : झारखंड में विधान सभा एवं लोक सभा क्षेत्रों के परिसीमन पर रोक लगी हुई है। यह देश के संविधान की मूल भावना के विरूद्ध है। साथ ही, पिछली बार हुए परिसीमन से झारखंड को वंचित किया गया है। इससे विकास कार्य बाधित हो रहा है। जनता का जन प्रतिनिधियों के साथ सही तालमेल स्थापित होना कठिन हो गया है। लोक सभा क्षेत्र 3 से 4 जिलों में बंटा हुआ है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात देश के संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में विधान सभा एवं लोक सभा में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति को जनसंख्या के अनुपात/प्रतिशत में कम सीटें प्राप्त हैं। झारखंड में परिसीमन होने से अनुसूचित जाति को उनका हक मिल सकेगा। अतः झारखंड में परिसीमन पर लगी रोक को समाप्त किया जाए।